

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3126] No. 3126] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 7, 2018/श्रावण 16, 1940

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 7, 2018/SHRAVANA 16, 1940

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 2018

का.आ. 3921(अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2017 (2018 का 1) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 7 अगस्त, 2018 को ऐसी तारीख के रूप में नियत करती है, जिस तारीख को उक्त अधिनियम की धारा 10 के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. 1/21/2013-सीएल-V] के. वी. आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 7th August, 2018

S.O. 3921(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Companies (Amendment) Act, 2017 (1 of 2018), the Central Government hereby appoints the 7th day of August, 2018 as the date on which the provisions of section 10 of the said Act shall come into force.

[F. No. 1/21/2013-CL-V]

K.V.R. MURTY, Jt. Secy.